न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी अमीलाल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या – 89/2024

अर्जुननाथ पुत्र गोपालनाथ सिद्ध उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.....वादी.....

बनाम

1. चैनदान दत्तक पुत्र केशरकंवर पत्नी जैतदान चारण निवासी ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब बीदासर जिला–चूरू (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण.....

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

उपस्थितः– (1) विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वादी की ओर से व
(2) विद्वान अधिवक्ता श्री रजत पाण्डे प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
(3) राजपैरोकार उपस्थित

दिनांक : 18-2-2025

–: निर्णय :–

दावे के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त का वर्तमान खेत खसरा नंबर 727/57 तादादी 7.1832 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान में स्थित है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का रहन–सहन, खान–पान अलग–अलग है तथा वादगत भूमि में वादी का 1897/2993 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1096/2993 हिस्सा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 चैनदान से खेत खसरा नंबर 727/57 तादादी 7.1832 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ऊंटालड़ तहसील बीदासर जिला–चूरू राजस्थान की भूमि में से उतरी तरफ की भूमि तादादी 4.5528 हैक्टेयर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 06.09.2024 को सम्पूर्ण विक्रय मुल्य राशि अदा कर खरीद की थी और खरीदशुदा भूमि पर वादी को उसी रोज प्रतिवादी संख्या 1 ने कब्जा दखल संभला दिया था और वादी उक्त

लगातार .....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

भूमि पर तब से काविज चला आ रहा है। वादी की उपर वर्णित खरीदशुदा भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में प्रतिवादी के साथ संयुक्त खातेदारी चली आ रही है। वादी ने अपने हिस्से पांति की भूमि में एक छान बना रखी है और वादी अपने हिस्से पांति की खरीदशुदा भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने हिस्से पांति की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने के लिये दिनांक 05.12.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादगत खसरा की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को ऐलानिया धमकियां दी और कहा कि बिना विभाजन करवाये वादी के हिस्से पांति की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करूंगा तथा वादी को उसके हिस्से पांति की भूमि में प्रवेश नहीं करने दूंगा व काश्त नहीं करने दूंगा और वादगत भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करूंगा। जिस पर वादी ने यह दावा पेश किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के साथ राजीनामा पेश किया, राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 ने राज्यहित निहित नहीं होना लिख कर जबाब पेश किया, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दावा को अंतिम रूप से डिक्री किये जाने का राजीनामा में कथन किया।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने वादगत भूमि खेत खसरा नंबर 727/57 तादादी 7.1832 हैक्टेयर भूमि वाके रोही उंटालड़ की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 06.09.2024 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र भूमि तादादी 4.5528 हैक्टेयर (1897/2993 हिस्सा) भूमि खरीद की है तथा विक्रय पत्र की फोटोप्रति पेश की है पक्षकारान के आपस में राजीनामा हो चुका है राजीनामा के अनुसार दावा डिक्री किये जाने का कथन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली पर राजीनामा प्रस्तुत है और राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की फोटोप्रति पत्रावली में मौजूद है व वादगत भूमि की प्रमाणित

लगातार .....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
वीदासर (चूरू)

जमांबदी की नकल पत्रावली पर मौजूद है दावा को राजीनामा के मुताविक डिक्री किये जाने बाबत उभय पक्षकारान को कोई ऐतराज नहीं है। उभय पक्षकारान राजीनामा के अनुसार वादगत भूमि के दावा को डिक्री करने पर सहमत है। वादगत भूमि वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड के मुताविक संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, राजीनामा के अनुसार वादगत भूमि का दावा अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का राजीनामा के मुताविक अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नंवर 727/57 तादादी 7.1832 हैक्टेयर वाके रोही उंटालड़ तहसील बीदासर की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नंबर 727/57 की मिन तादादी 4.5528 हैक्टेयर (1897/2993 हिस्सा) भूमि उत्तरी तरफ की भूमि की खातेदारी अलग से वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाता है व अलग से लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रैस में वादी के हिस्से के अनुसार तरमीम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वादी के हिस्से पांति की भूमि में नाजायज रूप से प्रवेश नहीं करें व वादी को प्रवेश करने, फसल लेने, लाटने से नहीं रोकें व वादी के उपयोग, उपभोग, कब्जा, काश्त में दखलन्दाजी नहीं देवें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, बीदासर

अन्तिम डिक्री व इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बीदासर व इजलास अमीलाल यादव आर.ए.एस.

अर्जुननाथ बनाम चैनदान आदि

दावा विभाजन व चिर निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 89/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रू–ब–रू हाजरी श्री रामसिंह राठौड़, अमरसिंह राठौड़ वकील वास्ते वादी मिनजानिब मुदई व श्री रजत पाण्डे वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 व राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादगत खेत खसरा नंबर 727/57 तादादी 7.1832 हैक्टेयर वाके रोही उंटालड़ तहसील बीदासर की संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन किया जाकर खेत खसरा नंबर 727/57 की मिन तादादी 4.5528 हैक्टेयर (1897/2993 हिस्सा) भूमि उत्तरी तरफ की भूमि की खातेदारी अलग से वादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाता है व अलग से लगान कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रैस में वादी के हिस्से के अनुसार तरमीम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये चिर निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वादी के हिस्से पांति की भूमि में नाजायज रूप से प्रवेश नहीं करें व वादी को प्रवेश करने, फसल लेने, लाटने से नहीं रोकें व वादी के उपयोग, उपभोग, कब्जा, काश्त में दखलन्दाजी नहीं देवें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक निर्णय व डिक्री के राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अन्तिम डिक्री की पालना बाबत तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

चीज........—........मुबलिग........—........बाबत........—........खर्चा

इस मुकदमें के मय सुद व शरह ....—........फीसदी

सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....—........को

अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18/2/2025

दस्तखत ....
उपखण्ड अधिकारी

ओहदा बीदासर (चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाई	रूपये	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट: खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)